Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील/टीए/1995/2004/नागौर

1. टीकूराम पुत्र भींवाराम
2. भंवरा राम पुत्र टीकूराम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नालौट तहसील नांवा जिला नागौर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. नेमाराम
2. मोहनराम
3. सूण्डाराम
4. मेवाराम
5. प्रेमाराम पुत्रगण पोकरराम
6. मु. गंगादेवी बेवा पोकरराम
7. मु. नारायणी बेवा कुम्भा
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नालोट तहसील नांवा जिला नागौर
8. राजस्थान सरकार
9. मैनेजर भूमि विकास बैंक, परबतसर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री धूकल राम कसवां, सदस्य

उपस्थित
श्री एस.पी. सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 13.03.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–03–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नालोट स्थित खसरा नम्बर 77, 79, 60 एवं 75 कुल किता 4 कुल रकबा 123बीघा के सहखातेदार नन्दराम, भींवाराम, नन्नाराम पुत्रगण गोमाराम एवं नारायणराम पुत्र गोपीराम बहिस्सा बराबर थे। नारायणराम के बंटवारे में दक्षिणी तरफ की 33बीघा 05बिस्वा भूमि आई। उक्त भूमि में नारायणराम के भाई पोकरराम का भी हिस्सा था परन्तु राजस्व रिकार्ड में इनका नाम दर्ज नहीं था। नारायणराम एवं पोकरराम ने अपने हिस्से की 23बीघा भूमि वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20–01–1977 से बैचान कर दी तथा शेष 10बीघा 05बिस्वा भूमि तीसरे भाई कुम्भाराम की बेवा मृ0 नारायचणी के हक में छोड दी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण की खरीदशुद्धा भूमि 23बीघा के नये खसरा नम्ब्र 129, खसरा नम्बर 187 कुल किता दो कुल रकबा 3.04हैक्टयर कायम किये तथा मु0 नारायणी के कब्जे काश्त की भूमि 10बीघा 05बिस्वा के नये खसरा नम्बर 188 एवं 185 कायम किये गये तथा उक्त खसरा नम्बरान को पोकरराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 6 एवं मु. गंगादेवी आदि की खातेदारी में दर्ज कर दिये। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 129 एवं 187 का खातेदारी घोषित कियाजाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तत्पश्चात्

विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26-06-2003 से वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी नेमाराम की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31-03-2004 से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की।

3. हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के सम्मन की तामील विधिवत रूप से होने के बाद ही वादपत्र में प्रतिवादी संख्या-1 मु. गंगादेवी एवं उसके बालिग पुत्र प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता देवीसिंह ने वकालतनामा दिनांक 25-11-1992 को प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 नाबालिग नेमाराम व पेमाराम की ओर से प्रतिवादी संख्या-1 मु0 गंगादेवी ने कुदरती सरंक्षक माता की हैसियत से वकालतनामा प्रस्तुत किये गये थे तथा शेष प्रतिवादीगण ने भी वकालनामा दिनांक 29-10-1992 एवं 17-06-1994 कोप्रस्तुत कर दिये गये। उनका कथन है कि इस प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र के सम्मन की तामील प्रतिवादीगण पर विधिवत् रूप से हुई। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से

जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब प्रस्तुत करने के अवसर को बन्द किया तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में प्रावधित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए वादीगण अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण अपीलार्थीगण के वाद को डिक्री किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 5 व 6 नाबालिग को वादपत्र में उनकी कुदरती वलिया मु. गंगादेवी के जरिये पक्षकार संयोजित किया तथा मु0 गंगादेवी प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर दियाथा। इस प्रकार नाबालिग प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 कानूनी तौर पर वादपत्र में उपस्थित हो गये थे, इस कारण अदालती वली मुकर्रर करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका कथन है कि प्रतिवादी संख्या–1 गंगादेवी ने अपने नाबालिग पुत्रों की कुदरती वली होकर इसी विवादित भूमि बाबत् वाद संख्या 192/1992 बउनवानी मु0 गंगादेवी बनाम टीकूराम प्रस्तुत किया, जो आदेश दिनांक 29–01–2003 से खारिज हो चुका है। उनका कथन है कि विवादित आराजी प्रतिवादी मु. गंगादेवी के पति एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पिता पेमाराम ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 20–1–1977 से वादीगण अपीलार्थीगण को विक्रय कर दी, जिसके आधार पर अपीलार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए नेमाराम की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे।

5. हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विवादित आराजी बाबत् निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 20-01-1977 के आधार पर घोषणा का मूल वाद प्रस्तुत किया। जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2045 तक खसरा नम्बर 77, 79, 60 एवं 75 नन्दा, भींवा, पन्ना पुत्र गोमा व नारायण पुत्र गोपी के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 20-01-1977 से नारायण व पोकरराम के हिस्से की भूमि क्रय की। कर्ता खानदान होने के नाते खातेदारी में अकेले नारायण का नाम दर्ज हुआ लेकिन कब्जा काश्त शुरू से दोनों नारायण व पोकरराम का रहा, जिससे विक्रयपत्र दोनों द्वारा निष्पादित किया गया। विक्रयपत्र से स्पष्ट है कि उसके निष्पादन दिनांक से ही विवादित आराजी के 1/4 हिस्से पर वादीगण अपीलार्थीगण टीकूराम व भंवराराम काबिज हो गये। प्रस्तुत प्रकरण में विक्रय की गयी भूमि का विक्रयपत्र निष्पादन की दिनांक को नारायण अकेला खातेदार था तथा बैचाननामें से नारायण व पोकरराम दोनों ने विवादित आराजी का हस्तान्तरण किया है। ऐसी स्थिति में विक्रेतागण को विक्रय की गयी भूमि पर कोई अधिकार शेष नहीं रहे। खसरा मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 79 के नये खसरा नम्बर 129 व 187 कायम किये गये। गत खसरानम्बर 75, 60, 77 व 79 एक ही चक में थे। पुराने नक्श टेस से स्पष्ट है कि पूरी जमीन के दक्षिण के तरफ स्थिति भूमि में से 23बीघा भूमि वादीगण द्वारा क्रय की गयी, जिसका गत खसरा नम्बर 79 था। भू-प्रबन्ध विभाग कार्यवाही के दौरान गत खसरा नम्बर 77, 76, 79 एवं 60 के विभिन्न नम्बर डालकर करीब 30 खसरा नम्बर नये बनाये गये तथा पर्वू खातेदारी के हिसाब से अंकन न करके अलग अलग खातेदारी दर्ज कर

दी, जबकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था। सम्वत् 2045 तक नारायण पुत्र गोवी व अन्य सहखातेदारों के साथ रिकार्ड में दर्ज था लेकिन नारायण के फौत होने पर उसके द्वारा विक्रय की भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम तस्दीक कर दिया, जो पोकर के वारिसान है तथा पोकर स्वयं द्वारा अपना हिस्सा भी दिनांक 20-01-1977 को वादीगण को हस्तान्तरित कर दिया था। विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 129 एवं 187 में वादीगण को 1/2 - 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया प्रतिवादीगण को नाम विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में हटाये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

7. जहां तक अधीनस्थ अपीलीय न्यायलाय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय से अपील को स्वीकार कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के सम्मन की तामील विधिवत रूप से होने के बाद ही वादपत्र में प्रतिवादी संख्या-1 मु. गंगादेवी एवं उसके बालिग पुत्र प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता देवीसिंह ने वकालतनामा दिनांक 25-11-1992 को प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 नाबालिग नेमाराम व पेमाराम की ओर से प्रतिवादी संख्या-1 मु0 गंगादेवी ने कुदरती सरंक्षक माता की हैसियत से वकालतनामा प्रस्तुत किये गये थे तथा शेष प्रतिवादीगण ने भी वकालनामा दिनांक 29-10-1992 एवं 17-06-1994 को प्रस्तुत कर दिये गये। इस प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र के सम्मन की तामील प्रतिवादीगण पर विधिवत् रूप से हुई। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब प्रस्तुत

करने के अवसर को बन्द किया तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 5 व 6 नाबालिग को वादपत्र में उनकी कुदरती वलिया मु. गंगादेवी के जरिये पक्षकार संयोजित किया तथा मु0 गंगादेवी प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया था। इस प्रकार नाबालिग प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 कानूनी तौर पर वादपत्र में उपस्थित हो गये थे, इस कारण अदालती वली मुकरर्र करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं थी।

8. प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या–1 गंगादेवी ने अपने नाबालिग पुत्रों की कुदरती वली होकर इसी विवादित भूमि बाबत् वाद संख्या 192/1992 बउनवानी मु0 गंगादेवी बनाम टीकूराम प्रस्तुत किया, जो आदेश दिनांक 29–01–2003 से खारिज हो चुका है। विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में सभी प्रतिवादीगण विशेष तौर पर नाबालिग प्रतिवादी संख्या 5 व 6 जरिये वली माता प्रतिवादी संख्या संख्या–1 गंगादेवी मय वकालतनामा उपस्थित हो गये थे, जिन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी उनकी ओर से न तो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, ना ही वाद की कार्यवाही में उपस्थित हुए, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित करने के उपरान्त वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय पारित किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर प्रकरण पुनः अन्वीक्षा हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर सरसरी तौर पर

अपीलाधीन निर्णय से प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः अन्वीक्षा हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–03–2004 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नावां द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–06–2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य